राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2015

बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. शोकाभिव्यक्ति

श्री मांगीलाल आर्य, पूर्व सदस्य, सातवी एवं आठवी राजस्थान विधान सभा के निधन पर शोक प्रकट किया जायेगा एवं श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी।

3. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे

(I) श्री गजेन्द्र सिंह, उद्योग मंत्री, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37(6) के अन्तर्गत 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिये राजस्थान वित्त निगम के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेगें।

(II) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखेंगे:-

1- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड़ का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2012-2013;

2- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2013-2014; एवं

3- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड़ का तेरहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013.

(III) श्री राजकुमार रिणवा, पर्यावरण राज्यमंत्री, राजस्थान राज्य जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-21(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2013-2014 सदन की मेज पर रखेंगे।

4. याचिका का उपस्थापन

श्री धीरज गुर्जर, सदस्य, विधान सभा, जिला- भीलवाड़ा की तहसील-कोटड़ी स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वीकृत डॉक्टरों के सभी पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करेंगे।

5. समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री प्रध्युमन सिंह, सभापति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, 2014-2015, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उद्योग, राजस्व, खनिज, संस्कृत शिक्षा, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, युवा एवं खेलकूद, स्वायत्त शासन, पर्यावरण, वन, उच्च शिक्षा, सिंचित क्षेत्र विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, ऊर्जा, जल संसाधन, शिक्षा, गृह, नगरीय विकास एवं आवासन, कृषि, सहकारिता, आबकारी, ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास, ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी), कृषि विपणन, सार्वजनिक निर्माण, यातायात, कारागार, पुरातत्व, भू-जल, श्रम एवं नियोजन, सहायता, वित्त, पर्यटन, कार्मिक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, पशुपालन, चिकित्सा शिक्षा, देवस्थान, सैनिक कल्याण, कला एवं संस्कृति, खादी एवं ग्रामोद्योग तथा आयोजना विभागों के वर्ष 2010 एवं 2011 के आश्वासनों से संबंधित समिति के प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

जारी..2..

6. विधायी कार्य

पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक

(I) डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय,जोधपुर (संशोधन) विधेयक,2015

	(I)	श्री राजेन्द्र राठौड़, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-10)		"डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
	(II)	प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015

	(I)	श्री प्रभुलाल सैनी, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे:-
महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-9)		"महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर अधिनियम, 2000 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।"
	(II)	प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016

द्वितीय अवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

निम्नांकित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा:-

क्र.सं.	मांग संख्या		मुख्य शीर्षक
1.	27	-	**पेयजल योजना**
2.	46	-	**सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर परियोजना सहित)**
3.	38	-	**लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण**

(कटौती प्रस्ताव जो पृथक से वितरित किये जा चुके हैं/रहे हैं, प्रस्तुत किये जायेंगे)

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।
दिनांक : 16 मार्च, 2015

राजस्थान विधान सभा

चतुर्थ सत्र

अनुपूरक कार्य-सूची

गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2015

विधायी कार्य

विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015

(I) श्री राजपाल सिंह शेखावत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्या-11)

"राजस्थान राज्य में झीलों का विकास और संरक्षण करने, और इन प्रयोजनों के लिये प्राधिकरण का गठन करने और उससे संसक्त और आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने हेतु विधेयक ।"

(II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(III) प्रभारी मंत्री प्रक्रिया के नियम-63(1) के अन्तर्गत राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश संख्यांक-1) को जारी करने के कारणों का विवरण भी सदन की मेज पर रखेंगे ।

पृथ्वी राज
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर
दिनांक 18 मार्च, 2015

नोट- यह आईटम मूल कार्य-सूची के आइटम संख्या-6(II) के पश्चात् लिया जायेगा ।